



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 446]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 2015/फाल्गुन 6, 1936

No. 446]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 25, 2015 /PHALGUNA 6, 1936

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2015

का.आ. 616(अ).— भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय ने एक प्रारूप अधिसूचना का.आ. 632(अ) तारीख 3 मार्च, 2014 भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया था, जिसमें गोवा राज्य के मेदई वन्य जीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकीय संवेदी जोन को प्रस्तावित किया गया, जिसके द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित रूप में उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और, उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां 3 मार्च, 2014 को जनता को उपलब्ध कराई गई थीं;

और, प्रारूप अधिसूचना के जवाब में सभी व्यक्तियों तथा पणधारियों से प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है ;

और, केन्द्र सरकार यह समझती है कि मेदई वन्य जीव अभयारण्य, सातारी, गोवा राज्य के उत्तरी गोवा जिले में 15° 40'56.58" उत्तर और 15° 27'12.64" उत्तर अक्षांश तथा 74° 16' 55.70" पूर्व और 74° 5' 2.58" पूर्व देशांतर के बीच स्थित है और 208.48 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है, जो जैव विविधता से समृद्ध वेस्टर्न घाट का आवश्यक भाग है ;

और, मेदई वन्य जीव अभयारण्य में अति संकटापन्न प्रजातियों जैसे भारतीय गैर, तेंदुआ, चूहा हरिण, जंगली कुत्तों आदि के अतिरिक्त अति महत्वपूर्ण प्रजाति अनु उत्तेजित सपुच्छ चमगादड़ भी पाए जाते हैं ;

और, इस अभयारण्य के वन वर्षा को आकृष्ट करते हैं और भूमिगत जलदायी स्तरों में जल को संचित करने में सहायता करते हैं और नदियों और धाराओं के विरुद्ध मृदा क्षरण को कम करके उनमें सिल्ट के भराव को रोकते हैं और बहुवार्षिक या अर्द्धवार्षिक या मौसमी प्रकृति की जल धाराओं का पूरा बंधा हुआ नेटवर्क चलता है जो मेदई नदी, अंजुनेम जलाशय और उसकी नहरों को भरता है ;

अतः, यह आवश्यक है कि मेदई वन्य जीव अभयारण्य के चारों ओर के संरक्षित क्षेत्र को पारिस्थितिकी और पर्यावरण के दृष्टिकोण से एक पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र के रूप में संरक्षित और संधारित किया जाए; जिसकी विस्तार एवं सीमाएं, इस

अधिसूचना के पैरा 1 में निर्दिष्ट हैं और उद्योगों अथवा उद्योगों के वर्गों के संचालनों तथा प्रक्रियाओं को कथित पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र में प्रतिशोध किया जाए;

अतः केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गोवा राज्य में मेदई वन्य जीव अभयारण्य की परिधि से एक किलोमीटर स्थल अथवा जल निकाय में से जो भी निकट हो, के क्षेत्र को पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार गोवा राज्य में मेदई वन्य जीव अभयारण्य की सीमा की परिधि से एक किलोमीटर स्थल अथवा जल निकाय में से जो भी निकट हो तक होगा ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन महाराष्ट्र राज्य द्वारा उत्तर की ओर से और भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य की सीमा द्वारा दक्षिण की ओर से, कर्नाटक राज्य के ग्रामों द्वारा पूर्व की ओर से और पश्चिम की ओर अंजुनम जलाशय तथा उसकी नहरों और सतारी तालुक के ग्राम के क्षेत्रों द्वारा सीमाबद्ध है; मेदई नदी की सहायक नदी महादेई पारिस्थितिक संवेदी जोन से पूर्व में जुड़ती है और पूर्व की ओर से पश्चिम की ओर कुछ स्थानों पर पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के साथ-साथ गुजरती है और अंजुनम जलाशय पश्चिम की ओर से पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के भीतर है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र **उपाबंध 1** के रूप में दिया गया है । पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा पर प्रमुख स्थलों के अक्षांश और देशांतर की सूची इस अधिसूचना के साथ **उपाबंध 2** पर दी गई है।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध 3** पर दी गई है ।

(5) उपाबंध 3 में दिए गए ग्रामों की सूची को राज्य सरकार द्वारा जोनल मास्टर प्लान तैयार करते समय और देखे जाने के लिए तथा पुष्टि के लिए दी गई है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान--(1) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के विचार और अनुमोदन के लिए राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी प्रबंधन के प्रयोजन हेतु राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और सभी संबंधित विभागों, जैसे पर्यावरण, वन और वन्य जीव, कृषि, राजस्व, शहरी और आवास विकास, पर्यटन, ग्रामीण विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, खनन और लोक निर्माण विभाग, की सहभागिता से पारिस्थितिक और पर्यावरण संबंधित प्रतिफलों को उक्त योजना में समेकित करते हुए जोनल मास्टर प्लान तैयार करेगी ।

(2) जोनल मास्टर प्लान में अवक्रमित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जलसंभरों के प्रबंधन, भूगम जल के प्रबंधन, मिट्टी और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी व पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपाबंध होंगे ।

(3) जोनल मास्टर प्लान सभी विद्यमान और प्रस्तावित शहरी बंदोबस्त, ग्रामीण बंदोबस्त, वनों के किस्म और प्रकार, कृषि क्षेत्र, उद्यान-कृषि क्षेत्र, मानव द्वारा निर्मित विरासत और स्थलों, नैसर्गिक विरासत स्थलों, चालू खनन पट्टे, झीलों और अन्य जलाशयों का सीमांकन करेगा ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए इस प्रकार तैयार जोनल मास्टर प्लान को गोवा राज्य के जोनल प्लान में समेकित किया जाएगा ।

(5) जोनल मास्टर प्लान, पैरा 4 में विनिर्दिष्ट सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रियाकलापों के विनियमन के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट उपायों को अंतर्विष्ट करेगा ।

(6) इस प्रकार तैयार किया गया जोनल मास्टर प्लान क्षेत्रीय विकास प्लान के सहविस्तारी होगा ।

(7) जोनल मास्टर प्लान इस अधिसूचना के उपबंधों के अधीन अपने कृत्यों की मानीटरी को पूरा करने के लिए राज्य स्तरी पारिस्थितिकी संवेदी मानीटरी समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् रा स्त पा सं मा स कहा गया है) पैरा 5 में यथा संदर्भित के लिए निर्देश दस्तावेज होगा ।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय—राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए निम्नलिखित उपायों को करेगी, अर्थात् :-

(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, उद्यानों और खुले स्थानों, जो आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए निश्चित किए गए हैं, का वाणिज्यिक उपयोग या उद्योग संबंधित विकास क्रियाकलापों के लिए भू-उपयोग में संपरिवर्तन अनुज्ञेय नहीं होगा :

परंतु कृषि योग्य भूमि का पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर संपरिवर्तन, राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति की सिफारिश पर, और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, विद्यमान स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए, और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट सूचीबद्ध क्रियाकलापों क्रमशः मद सं. 24, सं. 26, सं. 28 और सं. 31 को पूरा करने के लिए ही अनुज्ञात होगा, अर्थात्: —

(i) लघु स्तरीय उद्योग जो प्रदूषण कारित नहीं करते हैं,

(ii) वर्षा जल संचयन, और

(iii) कुटीर उद्योग जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं,

(iv) पारिस्थितिक रूप से अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पारिस्थितिक रूप से अनुकूल कोटेज जो अस्थायी रूप से पर्यटकों के अधिभोग के लिए हों जैसे टेंट, लकड़ी के घर, आदि :

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास क्रियाकलाप के लिए राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 अथवा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू अभिलेखों में प्रकट होने वाली किसी त्रुटि को राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् संशोधित किया जाएगा, जो प्रत्येक मामले में केवल एक बार ही होगा और उक्त त्रुटि का संशोधन केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचित किया जाएगा :

परंतु यह और कि किसी मामले में उपरोक्त त्रुटि का सुधार करने में भू-प्रयोग में परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा सिवाय उस दशा के जैसा कि इस उप-पैरा में उपबंधित किया गया है ।

(2) सभी जलस्रोतों के आवाह क्षेत्र की पहचान की जाएगी और उनके संधारण तथा नवीकरण की योजना जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित की जाएगी और उन क्षेत्रों में या उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियमनिष्ठ मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए जाएंगे ।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जो जोनल मास्टर प्लान का हिस्सा होंगे निम्नानुसार है, अर्थात्-

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का प्रसार पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक-शिक्षा और पारिस्थितिक विकास तथा पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता पर आधारित अध्ययन पर जोर देते हुए भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा ;

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा सिवाय पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पारिस्थितिक के अनुकूल आवास जैसे टेंट, लकड़ी के घर, छप्पर की छत और पारिस्थितिक के अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए :

(ग) जोनल मास्टर प्लान के अनुमोदन होने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार को संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा जो राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति की सिफारिश और स्थल की वास्तविक रूप से विनिर्दिष्ट संवीक्षा पर आधारित होगा ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन में मूल्यवान नैसर्गिक विरासत की पहचान की जाएगी और जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाएगा; सभी जीन पूल के लिए आरक्षित क्षेत्र, चट्टान विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वारोहण, खड़ी चट्टानों आदि को परिरक्षित किया जाएगा; उनके संरक्षण और संधारण के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उपयुक्त प्लान बनाएगी और ऐसे प्लान जोनल मास्टर प्लान के भाग होंगे ।

(5) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्यों, क्षेत्रों और ऐतिहासिक, वास्तु-शिल्पीय, सौन्दर्य विषयक और सांस्कृतिक महत्व की प्रसीमाओं की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर प्लान बनाया जाएगा और जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाएगा ।

(6) राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु, (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों तथा उसके तहत बने नियमों के अनुसार, पारिस्थितिक संवेदी जोन में, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम की विरचना करने वाला प्राधिकरण होगा ।

(7) राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों तथा उसके तहत बने नियमों के अनुसार, पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम की विरचना करने वाला प्राधिकरण होगा ।

(8) पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव जल का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के उपबंधों तथा उसके तहत बने नियमों के अनुसार होगा ।

(9) ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नानुसार किया जाएगा:—(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्यांक का.आ. 908(अ) तारीख 25 सितंबर, 2000 द्वारा केन्द्रीय सरकार के तत्कालीन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथकन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा ।

(10) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय ठोस अपशिष्ट का निपटान समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्यांक का.आ. 630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा केन्द्रीय सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(11) परिवहन की यानीय क्रियाकलाप आवास के अनुकूल विधि द्वारा विनियमित होंगे और इस संबंध में जोनल मास्टर प्लान में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और जोनल मास्टर प्लान के तैयार होने और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदन के दौरान, राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति यानीय गतिविधियों को विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुसार मानीटर करेगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची—पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) और उसके तहत बने नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां	सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां का तत्काल प्रभाव से प्रतिषेध है ।
2.	आरा मीलों की स्थापना ।	लागू कानून के तहत (अन्यथा प्राविधित को छोड़कर) प्रतिषिद्ध ।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण करने वाले उद्योगों की स्थापना करना ।	लागू कानून के तहत (अन्यथा प्राविधित को छोड़कर) प्रतिषिद्ध ।
4.	वाणिज्यिक होटल और सैरगाह की स्थापना करना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में तत्काल प्रभाव से कोई नया वाणिज्यिक होटल और सैरगाह प्रतिषिद्ध होंगे ।
5.	जलाने के उपयुक्त लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू कानून के तहत (अन्यथा प्राविधित को छोड़कर) प्रतिषिद्ध ।

6.	नए बृहत जल विद्युत परियोजना का स्थापना	पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए जल विद्युत परियोजना संयंत्रों (बांध, सुरंग बनाने और जलाशय के संनिर्माण) की स्थापना और विद्यमान संयंत्रों के विस्तार के सिवाय सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं (100 किलोवाट तक) या लघु विद्युत परियोजनाओं (101 किलोवाट से 2000 किलोवाट तक), जो स्थानीय समुदायों की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करेगी, संबंधित ग्राम सभा और अन्य आवश्यक अनापत्तियों के अध्यक्षीन रहते हुए प्रतिषिद्ध होगी ।
7.	किसी खतरनाक पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन	लागू कानून के तहत (अन्यथा प्राविधित को छोड़कर) प्रतिषिद्ध ।
8.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्वाह और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण	लागू कानून के तहत (अन्यथा प्राविधित को छोड़कर) प्रतिषिद्ध ।
9.	नई लकड़ी आधारित उद्योग	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नई लकड़ी पर आधारित उद्योगों की स्थापना प्रतिषिद्ध होगी ।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप	पारिस्थितिक संवेदी जोन में सिवाय, स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं, जिसके अंतर्गत मद संख्या 26 मद संख्या 28 और मद संख्या 31 में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, किसी प्रकार का नया संनिर्माण तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगा और मद संख्या 24 में सूचीबद्ध क्रियाकलाप के मामले में संनिर्माण क्रियाकलापों को विनियमित करते हुए उन्हें न्यूनतम स्तर पर रखा जाएगा ।
11.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग	लागू कानून के तहत (अन्यथा प्राविधित को छोड़कर) प्रतिषिद्ध ।
12.	भट्टे	लागू कानून के तहत (अन्यथा प्राविधित को छोड़कर) प्रतिषिद्ध ।
विनियमित क्रियाकलाप:		
13.	वृक्षों की कटाई	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं की जाएगी ; (ख) संबंधित केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार वृक्षों की कटाई विनियमित की जाएगी ।
14.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भूजल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी की वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण सतही और भूमिगत जल अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण, जिसके अंतर्गत निष्कर्षण किए जा सकने वाले जल की मात्रा भी है, के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण की पूर्व लिखित अनुमति अपेक्षित होगी ; (ग) सतही या भूजल का कोई विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा ; (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
15.	बिजली के तारों और दूर संचार टावरों का संनिर्माण ।	अंडरग्राउंड केबिलिंग को बढ़ावा देना ।
16.	विद्यमान होटलों और विश्रमालयों के परिसरों पर बाड़ लगाना	लागू नियमों के तहत विनियमित ।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और उसमें कमी करने के लिए लागू होने वाले उपायों के अनुसार करना होगा ।
18.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन	वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए लागू नियमों के तहत विनियमित ।
19.	विदेशी प्रजातियों का प्रवेश	लागू नियमों के तहत विनियमित ।
20.	पर्यटन संबंधी क्रियाकलापों जैसे राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर गर्म हवा के गुब्बारों द्वारा उड़ान भरना, आदि व्यापारिक कार्य ।	लागू नियमों के तहत विनियमित ।

21.	पहाड़ी ढलानों और नदी के तटों का संरक्षण	लागू नियमों के तहत विनियमित।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्वाह का निस्सारण	उपचारित बहिर्वाह के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा।
23.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग	लागू नियमों के तहत विनियमित।
24.	प्रदूषण कारित नहीं करने वाले लघु उद्योग	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, उद्यान, बागवानी या कृषि आधारित उद्योग देशीय माल से उत्पन्न उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं।
25.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण	लागू नियमों के तहत विनियमित।
26.	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों जिसके अंतर्गत पारिस्थितिक पर्यटन मकानों, रेस्टोरेंट और आमोद-प्रमोद की सुविधाएं भी हैं जिसमें स्फूर्ति, तैराकी पूल, व्यायाम शाला भी हैं जो कपड़े या लकड़ी या बोर्ड कणिका जैसे टेंट आदि की अस्थायी संरचनाओं में बने हैं।	जोनल मास्टर प्लान के अनुसार।
संवर्धित क्रियाकलाप		
27.	स्थानीय समुदायों द्वारा प्रचलित कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन	लागू नियमों के तहत अनुज्ञात।
28.	वर्षा जल संचयन	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
29.	जैविक खेती	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति—(1) केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गोवा राज्य के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य के चारों ओर के पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक समिति जिसका नाम राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति (रा स्त पा सं जो मा स), का गठन भारत के राजपत्र, असाधारण, संख्यांक का.आ 221(अ), तारीख 23 जनवरी, 2015 को भाग II, खंड 3 के उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किया गया है जो निम्नलिखित से मिलकर बनी है, अर्थात् :—

- (i) मुख्य सचिव, गोवा सरकार - अध्यक्ष;
- (ii) पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय, का एक प्रतिनिधि - सदस्य;
- (iii) सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य;
- (iv) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का गोवा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि (एक वर्ष की अवधि के लिए) - सदस्य;

- (v) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट समुदाय आधारित संगठन का एक प्रतिनिधि (एक वर्ष की अवधि के लिए) - सदस्य;
- (vi-xiv) गोवा सरकार के पर्यावरण एवं वन, ग्रामीण विकास, कृषि, शहरी विकास, आवास, खनन, पत्तन, परिवहन तथा राजस्व विभागों के प्रमुख सचिव-सदस्य;
- (xv) गोवा की ख्याति प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिक का गोवा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि (एक वर्ष की अवधि के लिए)- सदस्य;
- (xvi) मुख्य वन संरक्षक, (वन्य जीव) और मुख्य वन्य जीव वार्डन, गोवा सरकार - सदस्य सचिव ।

(2) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं.संख्यांक का.आ. 1533 तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों जिन्हें सम्मिलित किया गया है तथा पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलक्टर या संबंधित उद्यान का भारसाधक किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति विषय-विषय आधारित अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक के कार्यकलापों का विवरण उसी वर्ष के 30 जून तक केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उपाबंध 4 में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार अपनी वार्षिक कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय समय-समय पर राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए निदेश दे सकेगा ।


6. इस अधिसूचना के उपबंध अधिसूचना में सम्मिलित विषयों की बाबत भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों, यदि कोई हों, या पारित किए जाने वाले आदेशों के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/35/2013-ई एस जेड-आर ई]

डा. जी. वी. सुब्रह्मण्यम, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- 1

अक्षांश और देशांतर दर्शित करने वाला मेदई वन्य जीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



वन्य जीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा पर आने वाले प्रमुख बिंदुओं पर उनके अक्षांशों और देशांतरों की सूची			
क्रम सं.	विवरण	अक्षांश	देशांतर
1	रोड	15°26'51.80"उ	74°10'12.72" पू
2	रोड	15°28'39.16"उ	74° 9'54.27"पू
2क	नदी	15°31'54.55"उ	74°10'2.95"पू
3	नदी	15°32'5.29"उ	74°11'21.42"पू
3क	नदी	15°32'49.27"उ	74°11'50.82"पू
3ख	नदी	15°33'36.55"उ	74°12'22.95"पू
4	रोड	15°33'40.55"उ	74°11'54.37"पू
5	रोड	15°33'11.87"उ	74°10'37.94"पू
6	रोड	15°36'31.11"उ	74° 9'13.98"पू
7	धान सेंटर	15°33'17.55"उ	74° 4'47.43"पू
8	पहाड़ी एरिया	15°35'9.23"उ	74° 4'43.38"पू
9	रोड	15°36'50.26"उ	74° 4'33.07"पू
10	इंड प्वाइंट	15°38'0.35"उ	74° 4'45.76"पू
11	वन्य जीव सीमा महाराष्ट्र सीमा	15°38'21.41"उ	74° 5'29.24"पू
12	वन्य जीव अभ्यारण सीमा	15°36'55.66"उ	74° 5'20.41"पू
13	वन्य जीव अभ्यारण सीमा	15°34'49.44"उ	74° 4'48.60"पू
14	वन्य जीव अभ्यारण सीमा	15°33'42.47"उ	74° 5'38.06"पू
15	वन्य जीव अभ्यारण सीमा	15°37'13.18"उ	74° 9'25.19"पू
16	वन्य जीव अभ्यारण सीमा	15°33'47.58"उ	74°10'50.96"पू
17	वन्य जीव अभ्यारण सीमा	15°32'5.29"उ	74°11'21.42"पू
18	वन्य जीव अभ्यारण सीमा	15°28'45.34"उ	74°10'37.90"पू
19	वन्य जीव अभ्यारण सीमा	15°27'15.04"उ	74°11'16.98"पू

उपाबंध-3

मेदई वन्य जीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची

पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा के भीतर पूरी तरह आने वाले ग्रामों की सूची

क्रम सं.	ग्राम का नाम
1	रिवीम

पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के भीतर भागतः आने वाले ग्रामों की सूची

क्रम सं.	ग्राम का नाम
1.	अंजुनेम
2.	पॉनसुली
3.	क्यूलाडेम
4.	गुलीयूलीम
5.	क्यूरीम
6.	जोरीम
7.	सालली
8.	भूमिपाल
9.	डेबीम
10.	मॉक्सी
11.	कांप्रोडीम
12.	नानली
13.	पाली
14.	डॉंगुरली
15.	चोरानडीम
16.	गोलौली
17.	इडोरिम
18.	कारंबोलिम-ब्रम्मा
19.	नागरगो
20.	एंबीडीम
21.	सतोरिम
22.	डेवीम
23.	उस्तीम
24.	मालोली
25.	सेनवोरडीम
26.	कारंबोलिम-बुजरुको

27.	वेलजिम
28.	श्रंगुली
29.	सिरसोडीम
30.	असोडीन
31.	जीलपो-करडो
32.	गोवानीम
33.	अमबेली
34.	मालपोना
35.	सुरला

उपाबंध 4

कृत कार्रवाई रिपोर्ट का प्रोफार्मा:-

राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी कमेटी.-

1. बैठक की संख्या और तारीख
2. बैठकों के कार्यवृत्त: प्रमुख रूप से उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें
बैठक के कार्यवृत्त को पृथक् उपाबंध पर संलग्न करें।
3. जोनल मास्टर प्लान जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान (पारिस्थिति संवेदी जोन वार) भी है के तैयार किए जाने की स्थिति
4. उन मामलों का सार जिसके भू अभिलेख में प्रकट हुई त्रुटियों का सुधार किया जाना है। (पारिस्थिति संवेदी जोन वार)
जिसका विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकता है
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 (पारिस्थिति संवेदी जोन वार) के अधीन उन क्रियाकलापों के लिए जो सम्मिलित किए गए हैं संवीक्षा किए गए मामलों का सार।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 (पारिस्थिति संवेदी जोन वार) के अधीन उन क्रियाकलापों के लिए जो सम्मिलित नहीं किए गए हैं संवीक्षा किए गए मामलों का सार।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (पारिस्थिति संवेदी जोन वार) की धारा 19 के अधीन दर्ज किए गए परिवारों का सार।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th February, 2015

S.O. 616(E).—Whereas, a draft notification, for declaration of Eco-sensitive Zone around Madei Wildlife Sanctuary in Goa, was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 632(E), dated 3rd March, 2014, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And Whereas, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 3rd March, 2014;

And Whereas, all objections and suggestions received in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

And Whereas, the Central Government considers that the Madei Wildlife Sanctuary, Sattari, Goa lying between latitudes 15° 40' 56.58" N and 15° 27' 12.64" N and longitudes 74° 16' 55.70" E and 74° 5' 2.58" E in the North Goa

District of Goa State and extending over an area of 208.48 square kilometres, is an essential part of the Western Ghats, which is rich in biodiversity;

And Whereas, the Wrongton's free tailed bat is the species of vital importance in Madei Wildlife Sanctuary, besides some of the most endangered species like Indian gaur, panther, mouse deer, wild dogs, etc. are also found in this sanctuary;

And Whereas, the forest of this Sanctuary intercepts rainfall and helps recharge ground water aquifer and protects rivers and streams against siltation by minimising soil erosion and has a well knit network of streams spreading throughout, which are perennial or semi perennial or seasonal in nature, and feed into Madei river, Anjunem reservoir and its canals;

And Whereas, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundary of which is specified in paragraph 1 of this notification around the Madei Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive zone;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of one kilometre of land or the water body, whichever is nearer to the boundary of the Madei Wildlife Sanctuary in the State of Goa, as the Eco-sensitive Zone, details of which are as under, namely:—

1. **Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.**—(1) The extent of Eco-sensitive Zone shall be one kilometre of land or the water body whichever is nearer to the boundary of the Madei Wildlife Sanctuary within the State of Goa.
 - (2) The Eco-sensitive Zone is bounded on the North by Maharashtra State boundary, on the South by the boundary of Bhagwan Mahaveer Wildlife Sanctuary, on the East by the villages of Karnataka State and on the West by the Anjunem reservoir and its canals and areas of the villages of Sattari Taluka; the Mahadei river, a tributary of Madei River is joins the Eco-sensitive Zone on the East and passes along the Eco-sensitive Zone boundary from the East towards West at few places and the Anjunem reservoir is within the Eco-sensitive Zone towards West.
 - (3) The map of Eco-sensitive Zone boundary is appended to this notification as **Annexure I**. List of latitudes and longitudes of prominent points on the boundary of the ESZ is appended to this notification as **Annexure II**.
 - (4) The list of villages falling within Eco-sensitive Zone is given at **Annexure III**.
 - (5) The list of villages given in Annexure III shall be further revisited and confirmed by the State Government while preparing the Zonal Master Plan.
2. **Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.**—(1) The State Government shall for the purpose of effective management of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, for the consideration and approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India in consultation with local people and all concerned State Departments, such as Environment, Forest and Wildlife, Agriculture, Revenue, Urban and Housing Development, Tourism, Rural Development, Irrigation and Flood Control, Mining and Public Works Department for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan.
 - (2) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, ground water management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of ecology and environment that need attention.
 - (3) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing and proposed urban settlements, village settlements, types and kinds of forest, agriculture areas, horticultural areas, man-made heritage sites, natural heritage sites, mining leases in operation, lakes and other water bodies.
 - (4) The Zonal Master Plan thus prepared specific to this Eco-sensitive Zone shall be integrated into the regional plan for the State of Goa.
 - (5) The Zonal Master Plan shall contain the measures as may be specified by the Central Government or the State Government, for regulation of activities specified under column (2) of the table specified in paragraph 4.
 - (6) The Zonal Master Plan so prepared shall be co-terminus with the regional development plan.
 - (7) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee (hereinafter referred to as the SESZMC), referred to in paragraph 5, for carrying out its functions of monitoring under the provisions of this notification.
3. **Measures to be taken by State Government.**—The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:—
 - (1) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the SESZMC, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of

local residents, and for the activities listed at item numbers 24, 26, 28 and 31 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) Small scale industries not causing pollution,
- (ii) Rainwater harvesting,
- (iii) Cottage industries including village industries, and
- (iv) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance to the provisions of Article of 244 of the Constitution of India or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007) as amended time to time:

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of SESZMC, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(2) The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government to prohibit development activities at or near these areas.

(3) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone which shall form part of the Zonal Master Plan shall be as under, namely:—

- (a) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and by the National Tiger Conservation Authority, with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;
- (b) new construction of any kind shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone except for eco-friendly accommodation like tents, wooden houses or thatched roofs for temporary occupation of tourists and for eco-friendly tourism activities;
- (c) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the SESZMC.

(4) All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and proper plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) Disposal of solid wastes shall be as under:-

- (i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;
- (ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;
- (iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;
- (iv) the inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner.

(10) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630 (E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, SESZMC shall monitor compliance of vehicular movement as per the rules and regulations in force.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.**-All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:—

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect
2.	Setting up of saw mills.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Commercial establishment of hotels and resorts.	New commercial establishment such as hotels and resorts shall be prohibited within the Eco-sensitive Zone with immediate effect.
5.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Setting up of new hydro-electric power plants (dams, tunnelling, and construction of reservoir) and expansion of existing plants in the Eco-sensitive Zone is prohibited with immediate effect, except the micro hydel power projects (Up to 100KW) or the mini hydel power projects (from 101 to 2000KW), which would serve the energy needs of the local communities, subject to the consent of the concerned Gram Sabha and all other requisite clearances.
7.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone with immediate effect.
10.	Construction activities	New construction of any kind shall be prohibited within the Eco-sensitive Zone with immediate effect, except for the domestic needs of local residents including the activities listed at item numbers 26, 28 and 31 and in the case of activities listed at item number 24, the construction activity shall be regulated and kept at the minimum.
11.	Use of plastic carry bags	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
12.	Brick kilns	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the

		provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) Extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
15.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling.
16.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose as per applicable law.
19.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws
20.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park area by hot-air balloons, etc.	Regulated under applicable laws
21.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws
22.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
23.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws
24.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment.
25.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws
26.	Eco-tourism activities including eco tourist lodges, restaurant and recreational facilities including spa, swimming pool, gymnasium in temporary structures made of cloth or wood or particle board such as tents etc.	As per Zonal Master Plan.
Promoted Activities		
27.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.
28.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
29.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
30.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
31.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.

5. **State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee:—**(1) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zones around National

Parks and Wildlife Sanctuaries, has constituted a Committee called the State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee (SESZMC) for the State of Goa vide notification number S.O. 221(E), dated the 23rd January, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) comprising of the following members, and to perform the following functions, namely:-


- (i) Chief Secretary, Government of Goa- Chairman;
 - (ii) Representative of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change- Member;
 - (iii) Member Secretary, State Pollution Control Board-Member;
 - (iv) One representative of Non-governmental Organisations working in the field of environment to be nominated by the Government of Goa (for a term of one year)– Member;
 - (v) One representative of community based organisations nominated by the State Government (for a term of one year)– Member;
 - (vi-xiv) Principal Secretaries of the Government of Goa from Departments of Forest and Environment, Rural Development, Agriculture, Urban Development, Housing, Mining, Ports, Transport and Revenue – Members;
 - (xv) One expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of Goa to be nominated by Government of Goa (for a term of one year) - Member;
 - (xvi) Chief Conservator of Forests (WL) and Chief Wildlife Warden, Government of Goa– Member Secretary.
- (2) The SESZMC shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
 - (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the SESZMC based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearance under the provisions of the said notification.
 - (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the SESZMC based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
 - (5) The Member Secretary of the SESZMC or the concerned Collector or the concerned park in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
 - (6) The SESZMC may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
 - (7) The SEZMC shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per pro forma given in **Annexure IV**.
 - (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the SESZMC for effective discharge of its functions.
6. The provisions of this notification shall be subject to the orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal as the case may be, in respect of matters covered under this notification.

[F. No. 25/35/2013-ESZ-RE]

Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

Annexure I

Map of Madei Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone showing Latitudes-Longitudes



Annexure II**List of latitudes and longitudes of prominent points on the boundary of the ESZ of Madei Wildlife Sanctuary**

S. No.	Description	Latitude	Longitude
1	ROAD	15°26'51.80"N	74°10'12.72"E
2	ROAD	15°28'39.16"N	74° 9'54.27"E
2A	RIVER	15°31'54.55"N	74°10'2.95"E
3	RIVER	15°32'5.29"N	74°11'21.42"E
3A	RIVER	15°32'49.27"N	74°11'50.82"E
3B	RIVER	15°33'36.55"N	74°12'22.95"E
4	ROAD	15°33'40.55"N	74°11'54.37"E
5	ROAD	15°33'11.87"N	74°10'37.94"E
6	ROAD	15°36'31.11"N	74° 9'13.98"E
7	PADDY CENTER	15°33'17.55"N	74° 4'47.43"E
8	HILLY AREA	15°35'9.23"N	74° 4'43.38"E
9	ROAD	15°36'50.26"N	74° 4'33.07"E
10	END POINT	15°38'0.35"N	74° 4'45.76"E
11	WLS MAHARASHTRA BORDER	15°38'21.41"N	74° 5'29.24"E
12	WLS BOUNDARY	15°36'55.66"N	74° 5'20.41"E
13	WLS BOUNDARY	15°34'49.44"N	74° 4'48.60"E
14	WLS BOUNDARY	15°33'42.47"N	74° 5'38.06"E
15	WLS BOUNDARY	15°37'13.18"N	74° 9'25.19"E
16	WLS BOUNDARY	15°33'47.58"N	74°10'50.96"E
17	WLS BOUNDARY	15°32'5.29"N	74°11'21.42"E
18	WLS BOUNDARY	15°28'45.34"N	74°10'37.90"E
19	WLS BOUNDARY	15°27'15.04"N	74°11'16.98"E

Annexure III**List of villages falling within the Madei Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone**

List of Villages completely falling within the ESZ Boundary

S. No.	Village Name
1	Rivem

List of Villages partially within the ESZ Boundary

S. No.	Village Name
1	Anjunem
2	Ponsuli
3	Quelaudem
4	Gullullem
5	Querim
6	Zorme
7	Saleli
8	Bhuimpal
9	Dabem
10	Mauxi
11	Compordem
12	Naneli
13	Pale
14	Dongurli
15	Choraudem
16	Golauli

17	Edorem
18	Carambolim-Bramma
19	Nagargao
20	Ambedem
21	Satorem
22	Davem
23	Ustem
24	Maloli
25	Sanvordem
26	Carambolim-Buzrucco
27	Velguem
28	Siranguli
29	Sirsodem
30	Assodem
31	Xelopo-Curdo
32	Govanem
33	Ambeli
34	Malpona
35	Surla

Annexure IV**Proforma of Action Taken Report: - State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan (Eco-sensitive Zone wise)
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. (Eco-sensitive Zone wise).
Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Eco-sensitive Zone wise).
Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Eco-sensitive Zone wise).
Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986. (Eco-sensitive Zone wise).
8. Any other matter of importance.